

## न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

अन्तर सिंह नेहरा  
आई.ए.एस.

मिसल संख्या  
30/रेफरेंस/12

तारीख दायरा  
05.09.2012

तारीख निर्णय  
16.06.2020

राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, इन्द्रगढ (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

### बनाम

रामनारायण, नेमीचंद, चौथमल पि. लोडक्या,  
प्रेमबाई, मंजूबाई पुत्रियां लोडक्या जाति बैरवा  
निवासी ग्राम बडगांव, तहसील इन्द्रगढ

— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82  
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित—


प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।  
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

### निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार इन्द्रगढ ने अन्तर्गत धारा 82(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 124 रकबा 0.13 हैक्टेयर को कब्जे राज लेकर भू प्रबन्ध से पूर्व की किस्म **खाल** राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने तथा अप्रार्थीगण के नाम की अवैध प्रविष्टी को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब जर्ये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने के कारण रामनारायण के दिनांक 10.07.13, चौथमल के दिनांक 13.12.13, शेष अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 01.6.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।



  
जिला कलेक्टर; बून्दी

बहस पेटोकार सरकार सुनी गयी।

पेटोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि (पुराने खसरा संख्या 20 मिन रकबा 17 बिस्वा) की किस्म 1947 से पूर्व खाल दर्ज रेकार्ड थी एवं यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरीत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा यह भूमि अवैध रूप से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थीगण को विवादित भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को पूर्वानुसार खाल राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2001 से 2004, मिलान क्षेत्रफल 2022 से 2041 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम ~~बडगांव~~ की विवादित भूमि के पुराने खसरा संख्या 20 मिन थे तथा वर्ष 1947 से पूर्व इस भूमि की किस्म खाल अंकित थी एवं यह भूमि राजकीय भूमि थी। मिलानक्षेत्रफल के अनुसार खसरा संख्या 20 मिन रकबा 17 बिस्वा के नये खसरा संख्या 80 बने तथा उक्त ख.सं. 80 रकबा 17 बिस्वा के नये खसरा संख्या 124 रकबा 0.13 हैक्टेयर बने। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा यह भूमि अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार नियम विरुद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र संख्या 9213-9244 दिनांक 13.11.2007 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं। परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम बडगांव में विरिथित भूमि खसरा संख्या 124 रकबा 0.13 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण को दी गयी खातेदारी निरस्त कर भूमि पूर्ववत राजकीय सिवायचक किस्म "खाल" दर्ज करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल, अजमेर को किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 16.06.2020को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/6/2020  
(अन्तर सिंह नेहरा)  
जिला कलेक्टर बून्दी

